कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–एफ.3–15(सी)AA-1068 / अनु:3 / डी– 734 दिनांक– 15/6/22

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पंजीयन आदेश संख्याः–एफ.3–15(सी)AA-1068 / अनु:3 / डी–550 दिनांक 11.06.2020 द्वारा **रोलजैक एशिया लिमिटेड, जी–21–27, रोड़ नं. 1, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, कलड़वास, उदयपुर** को 'एए' श्रेणी में अस्थायी रुप से पंजीकृत किया गया था। अति.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग–प्रथम, उदयपुर के पत्रांक 722 दिनांक 10.02.2022 के द्वारा अवगत कराया कि, उक्त फर्म को पैकेज संख्याः–RJ-33-02/RIDF-25/2019-20, RJ-33-03/RIDF-25/2019-20, RJ-33-02/RIDF-26/2020-21 एवं RJ-33-05/RIDF-25/2019-20 के कार्य आवंटित किये गये थे। सम्बन्धित फर्म को निरन्तर निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी फर्म द्वारा कार्य कार्य पूर्णता तिथि तक पूर्ण नहीं किये जाने एवं प्रोरेटा प्रोग्रेस संधारित नहीं करने के कारण फर्म के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 एवं 3 सी के तहत कार्यवाही की गई एवं सम्भाग कार्यालय द्वारा फर्म को पंजीयन नियमों के तहत भविष्य में होने वाली निविदाओं में भाग लेने से वंचित करने की अनुशंषा प्रस्तुत की गई। जिस क्रम में फर्म को इस कार्यालय के पत्रांकः–एफ.3–15(सी)AA-1068 / अनु:3 / डी–3251 दिनांक 31.03.2022 एवं पत्रांक–284 दिनांक 05.05.2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका फर्म द्वारा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः अति.मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. संभाग–प्रथम, उदयपुर के पत्रांक 722 दिनांक 11.06.2020 के आधार पर रोलजैक एशिया लिमिटेड, जी–21–27, रोड़ नं. 1, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, कलड़वास, उदयपुर के उक्त पंजीयन को **लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम के नियम 334 के परिशिष्ट XVI, अनुभाग VIII पैरा VIII.5(I) के अनुसरण में इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि हेतु समस्त निविदाओं में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।** साथ ही फर्म को इस अवधि में किसी भी श्रेणी में पुनः पंजीयन हेतु अयोग्य करार दिया जाता है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

Sd

(संजीव माथुर)
मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. महालेखाकार,राजस्थान,जयपुर।
2. मुख्य अभियंता,सिंचाई / जन–स्वास्थ्य अभि. विभाग / भू–जल विभाग, जोधपुर।
3. मुख्य अभियंता(सिविल) राज.राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.,जयपुर।
4. आवासन आयुक्त,राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर।
5. प्रबन्धक निदेशक,आर.एस.आर.डी.सी.सी.लि.,जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
7. अति.मुख्य अभियंता,सा.नि.वि.(समस्त) ।
8. निदेशक अभियांत्रिक,जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।
9. सचिव ,राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,जयपुर।
10. अधीक्षण अभियंता,सा.नि,वि, (समस्त)
11. तकनीकी सहायक प्रथम / अधीक्षण अभियंता(भवन / पथ / राराऊ मार्ग / ई–टेंडरिंग, मु.अ. कार्यालय, सा.नि.वि.जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक (आई.टी),सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर को उक्त आदेश सा.नि.वि. की विभागीय बेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
13. **रोलजैक एशिया लिमिटेड, जी–21–27, रोड़ नं. 1, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, कलड़वास, उदयपुर**

15/6/22
(सुरेश चन्द पारीक)
अधिशाषी अभियन्ता(मुख्यालय)
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर